

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दोसा)

किरम मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

रामकिशन v/s रामनेवा
 हुकम या कार्यवाही मय डीआर/आर/...
 वादपत्र 53, 188 - 2020/00129

जजवर व भारतीय
 कानून का हवाला
 देकर जो भी कार्यवाही
 में जारी हुए

13/7/24 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत हेम
 लालसोट में पेश हुई। वकील रामकिशन
 एवम् प्रतिवक्षी रामनेवा एक डाकस्थित
 हैं। उक्त पत्रकार की आदेशिका पर
 आधारित अर्थात् निशोषी के रूप में इस
 की गई। पत्रावली में विभाजन परराज
 प्राप्त हो चुके हैं। उक्त पत्रकार
 मुरखिद कुर्जाल वादपत्र आराजी
 का विभाजन करवाने को सहमत है।
 अतः वकील एवम् प्रतिवक्षी की सहमति
 से वादपत्र आराजीकार का विभाजन
 कर वक्षी का वादपत्र इन्तिफ रूप
 से रखी दिया जाता है।


 श्री रामनेवा


 श्री रामकिशन

तहसीलदार लालसोट को आदेश
 दिये जाते हैं कि मुरखिद कुर्जाल, रिकी
 व कुर्जाल वादपत्र आराजी स्क-2
 137 रकबा 1,4400 हैमर. कृषि भूमि गृह 2000
 का विभाजन कर शसस्त्र रिकॉर्ड में
 अमल प्रामाण्य करे। कुर्जाल गिर्जाल का
 पार्ट रहेगे। रिकी पर्वत जारी हो।
 पत्रावली केवल भूमि होकर जारी है
 एक हो। दारिकत परर है

सदर
 लोक अदालत बेंच
 लालसोट जिला-दीपा